130

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 1995 (फाल्गुन 4, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन के भेरूगढ़ थाना कर्मियों द्वारा एक चौकीदार से अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, रामलखन शर्मा, सदस्य, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक विधायक पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, दमोह जिले में जहरीली शराब पीने से चार युवकों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, सदस्य, शहडोल जिले की ओरिएंट पेपर मिल के प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री गौरीशंकर बिसेन, दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, सदस्य, विदिशा जिले के पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, सुकीर्ति जैन, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम अमाड़ा में एक बालक की नरबलि की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गुरूबक्श अतुलकर, सदस्य, बैतूल जिले की आबकारी सलाहकार समिति के निर्णय का पालन न किये जाने की ओर राज्य मंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री ओमप्रकाश खटीक, बच्चन नायक, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, शिवपुरी जिले में चल रही पत्थर खदानों के बंद होने से बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री कंकर मुंजारे, भूपेन्द्र सिंह, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, उज्जैन के नरसिंह घाट मार्ग पर पांच व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. दालसिंह बिसेन, सदस्य, जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों का शोषण किये जाने की ओर राज्य मंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री बच्चन नायक, बाबूलाल गौर, कंकर मुंजारे, सदस्य, भोपाल की अलकापुरी कालोनी के अनेक लोगों को अकारण गिरफ्तार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, ग्वालियर कोतवाली में पुलिस की मारपीट से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
30 मि.

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

4. वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक का उपस्थापन

3.00 बजे

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 22 फरवरी, 1995